डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक:– COE/4361/2016
दिनांक:–12–12–2016

सेवा में,
प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
(एलएल0बी0 पाठ्यक्रम)
डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

विषय:– विधि पाठ्यक्रम की परीक्षा में अन्तराल वर्ष (**Gap Year**) के पश्चात् नियमित रूप से परीक्षा मे सम्मिलित करायें जाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि परीक्षा वर्ष 2015–16 में आपके महाविद्यालय से अन्तराल वर्ष के कुछ परीक्षाफार्म भरे गये है। बिना किसी कारण के शैक्षिक वर्ष का अन्तराल मान्य नहीं होता है। नियमानुसार छात्र/छात्रा को प्रत्येक शैक्षिक सत्र में अध्ययनरत होना आवश्यक होता है यदि छात्र/छात्रा अध्ययनरत नहीं रहता है तो उसी समय उसको सूचना (**Notice**) देकर प्रवेश निरस्त करना चाहिए। दूसरी ओर यदि छात्र/छात्रा पूरे वर्ष कक्षा में सम्मिलित हुआ है तो उसको उस सत्र की परीक्षा में सम्मिलित कराया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से छात्र/छात्रा 75% उपस्थिति के पश्चात् परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो वह अगली कक्षा में भूतपूर्व छात्र के रूप में सम्मिलित हो सकता है किन्तु देखने में आया है कि आपके महाविद्यालय में कुछ छात्र/छात्राओं को बिना किसी कारण अन्तराल वर्ष (**Gap Year**) परीक्षा फार्म भरवाये गये है जो उचित नहीं है। कृपया अवगत कराये कि ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया है क्या ऐसा करना नियम संगत है, साथ में शैक्षिक सत्र 2015–16 में परीक्षाफार्म नहीं भरने वालों की स्थिति बताए।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार वांछित सूचना उपलब्ध करायें।

भवदीय

(कैलाश नाथ सिंह)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

1. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।
2. एजेन्सी 2015–16 को इस निर्देश के साथ कि समस्त कालेजों की लागईन आई0डी0 पर एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. गार्ड फाइल।

परीक्षा नियंत्रक